

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 406]

नवा रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 24 जुलाई 2026 — श्रावण 2, शक 1948

चिकित्सा शिक्षा (आयुष) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 22 जुलाई 2026

अधिसूचना

क्रमांक ESTB-13130/2026/55-1.— छत्तीसगढ़ होम्योपैथी परिषद् अधिनियम, 1976 (क्र. 19 सन् 1976) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए एवं विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ 2-25/2018/9/55—तीन दिनांक 31.08.2020 को अतिष्ठित करतें हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ राज्य होम्योपैथी परिषद्, का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे, अर्थात:-

1. डॉ० दिलीप मुकुंद पिम्पले, प्राचार्य, रायपुर होम्योपैथी चिकित्सा महाविद्यालय रामकुंड रायपुर, छ.ग.।
2. डॉ० निर्मल भोई, उप प्राचार्य एवं प्रोफेसर, रायपुर होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय रामकुंड रायपुर छ.ग.।
3. डॉ० ओंकार सिंह राजपूत, शासकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय बिलासपुर छ.ग.।
4. डॉ० प्रदीप चौधरी, चौधरी होम्योपैथिक क्लिनिक स्मृति नगर भिलाई, छ.ग.।
5. डॉ० गुलाब टिकरिहा, टिकरिहा हॉस्पिटल खरोरा जिला रायपुर, छ.ग.।
6. डॉ० रश्मि सोनकर, मनेंद्रगढ़ राजलक्ष्मी होम्योपैथिक क्लिनिक जिला मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर छ.ग.।
7. डॉ० यशपाल, बावरिया, श्री जी होम्योपैथी सेंटर, देवेन्द्र नगर, सेक्टर-03, जिला-रायपुर छ.ग.।
8. डॉ० रितु पाण्डेय, फ्लैट नं. ए-302 सत्यम बिल्डिंग, गोलछा पार्क, साई मंदिर के पास महावीर नगर, रायपुर छ.ग.।
9. डॉ० सुशील हरिरमानी, प्राध्यापक, रायपुर होम्योपैथी चिकित्सा महाविद्यालय एवं हॉस्पिटल, रामकुण्ड, रायपुर छ.ग.।
10. डॉ० अभ्युदयशक्ति तिवारी, सहायक संचालक, होम्योपैथी संचालनालय आयुष, छ.ग.।

यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से लागू होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
लविना पाण्डेय, उप-सचिव.

Nava Raipur Atal Nagar, the 22nd July 2026

NOTIFICATION

F.No. ESTB-13130/2026/55-1.— In exercise of the powers conferred by sub-Section (1) of Section 3 of the Chhattisgarh Homeopathy Parishad Adhiniyam, 1976 (N0 19 of 1976), and in supersession of Department's Notification No. F 2-25/2018/9/55-3 dated 31 August 2020, the State Government hereby constitutes the Chhattisgarh State Homeopathy Council with shall include from the following members, namely:-

1. Dr. Dilip Mukund Pimple, Principal, Raipur Homeopathy Medical College, Ramkund, Raipur, Chhattisgarh.
2. Dr. Nirmal Bhoy, Vice Principal and Professor, Raipur Homeopathic Medical College, Ramkund, Raipur, Chhattisgarh.
3. Dr. Omkar Singh Rajput, Government Homeopathic Hospital, Bilaspur, Chhattisgarh.
4. Dr. Pradeep Chaudhary, Chaudhary Homeopathic Clinic, Smriti Nagar, Bhilai, Chhattisgarh.
5. Dr. Gulab Tikariha, Tikariha Hospital, Kharora, District Raipur, Chhattisgarh..
6. Dr. Rashmi Sonkar, Rajlakshmi Homeopathic Clinic, Manendragarh, District Manendragarh-Chirmiri-Bharatpur, Chhattisgarh.
7. Dr. Yashpal Bavariya, Shri Ji Homeopathy Centre, Devendra Nagar, Sector-03, District Raipur, Chhattisgarh.
8. Dr. Ritu Pandey, Flat No. A-302, Satyam Building, Golcha Park, Near Sai Mandir, Mahavir Nagar, Raipur, Chhattisgarh.
9. Dr. Sushil Hariramani, Lecturer, Raipur Homeopathic Medical College & Hospital, Ramkund, Raipur, Chhattisgarh.
10. Dr. Abhyudayshakty Tiwari, Assistant Director, Directorate of Homeopathy, AYUSH, Chhattisgarh.

This notification shall be effective from the date of its publication in the Official Gazette..

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
LAVINA PANDAY, Deputy Secretary.